स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 158, दिनांकः 21–05–2025

उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने हत्या, लूट, डकैती व हत्या का प्रयास जैसे 06 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम देने व जनपद गोण्डा से रूपये–1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात डकैत ज्ञानचन्द्र पासी की एसटीएफ के साथ जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र रामनगर में हुई साहसिक मुठभेड़, उपचार के दौरान मृत घोषित।

दिनांक 21–05–2025 को उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने हत्या, लूट, डकैती व डकैती के दौरान हत्या, हत्या का प्रयास जैसे लगभग 06 दर्जन से अधिक जघन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले एवं डकैती करने वाले गिरोह का सरगना व जनपद गोण्डा से रूपये–1,00,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात डकैत ज्ञानचन्द्र पासी एवं एसटीएफ उ0प्र0 टीम के साथ थाना क्षेत्र रामनगर, जनपद बाराबंकी में हुई साहसिक मुठभेड़, जिसकी जिला अस्पताल, बाराबंकी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

अभियुक्त का विवरण–

ज्ञानचन्द्र पासी पुत्र शिवप्रसाद पासी निवासी नये पुरवा मौजा, राजापुर थाना परसपुर, गोण्डा।

अभियुक्त से बरामदगी–

1– 01 अदद रायफल 315 बोर।
2– 01 अदद पिस्टल 32 बोर।
3– 01 अदद बन्दूक 12 बोर।
4– भारी मात्रा में जीवित व खोखा कारतूस।

घटनास्थल का दिनांक/समय/स्थान–

दिनांक 21–05–2025 स्थान– थाना क्षेत्र रामनगर, जनपद बाराबंकी ग्राम लहाड़ा के लोहटाजई जंगल में।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व मे एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कुख्यात अपराधी ज्ञानचन्द्र पासी उपरोक्त जिसके विरूद्ध उ0प्र0 के जनपद गोण्डा सहित अन्य जनपदों में हत्या, डकैती, लूट, हत्या का प्रयास जैसे लगभग 06 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है एवं इसके विरूद्ध जनपद गोण्डा से रू0 एक लाख का पुरस्कार भी घोषित है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ मुख्यालय की टीम द्वारा जानकारी इकठ्ठा की जा रही थी। अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि डकौतो का एक गिरोह लहाड़ा मोड के पास लोहटाजई जंगल में मौजूद है और आस–पास के किसी गॉव में डकैती की योजना बना रहा है।

इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एस०टी०एफ० मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 रामनिवास

शुक्ला, मु0आ0 राजीव कुमार, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, मु0आ0 महेन्द्र सिंह मु0आ0 अशोक सिंह की टीम द्वारा लोहटाजई जंगल में मुखबिर के सूचना के अनुसार जंगल में मौजूद हथियार बन्द डकैतों की घेराबन्दी की गयी तथा डकैतो की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तथा उनको बार–बार आत्म समर्पण हेतु कहा गया व चेतावनी दी गयी, जिस पर वहॉ मौजूद डकैतों द्वारा एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नियत से अन्धाधुन्ध फायरिंग किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी। जिसमें एसटीएफ टीम पर फायर कर रहा एक डकैत गम्भीर रूप से घायल हो गया एवं उसके गिरोह के 02 अन्य डकैत मौके से भागने में सफल रहे। घायल डकैत को प्राथमिक चिकित्सालय, रामनगर, बाराबंकी ले जाया गया जहॉ पर डाक्टरों द्वारा घायल डकैत का प्राथमिक उपचार के उपरान्त जिला अस्पताल, बाराबंकी रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डाक्टरों द्वारा इलाज के दौरान घायल डकैत को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक डकैत की पहचान ज्ञानचन्द्र पासी पुत्र शिवप्रसाद पासी निवासी नये पुरवा मौजा, राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के रूप में हुई।

मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

मृतक ज्ञानचन्द्र पासी पिछले करीब 27 वर्षो से उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था। यह वर्ष–1999 से अपराध जगत में सक्रिय था। इसके विरूद्ध जनपद गोण्डा सहित अन्य जनपदों में हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, डकैती के दौरान हत्या जैस लगभग 06 दर्जन से अधिक जघन्य अपराधों का अभियोग पंजीकृत था। यह अपराधी मु0अ0सं0–95/2025 धारा 310(2), 310(3), 317(3), बीएनएस, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा में वॉछित चल रहा था, जिस पर इसकी गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर के पत्र संख्याः जीजेड–क्राइम–पुरस्कार घोषित–2025/6789 दिनांक 11–05–2025 द्वारा रूपये–1,00,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था।

<u>ज्ञानचन्द्र पासी उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियाँः–</u>

1. वर्ष–1999 में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कस्बा परसपुर, गोण्डा में एक सर्राफा व्यवसायी के घर पर डकैती की घटना के दौरान व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दिया था।

2. वर्ष–2009 में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कस्बा हुजुरपरु, गोण्डा में एक सर्राफा व्यवसायी के घर पर डकैती की घटना के दौरान व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दिया था।

3. वर्ष–2016 में अपने साथियों के साथ मिलकर कस्बा परसपुर में शिवकुमार सिंह नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की रात्रि में घर में घुसकर हत्या किया था। इस घटना में लगभग 03 वर्ष तक फरार रहने के उपरान्त इसके विरूद्ध रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित हुआ था जिसे वर्ष–2019 में पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार किया गया था।

4. वर्ष–2022 में बारात में नाच देखने के विवाद में व पुलिस की मुखबिरी के शक के चलते अपने चचेरे भाई नन्कऊ के साथ मिलकर लस्करी यादव नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दिया था। घटना के पश्चात इसका चचेरा भाई नन्कउ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

5. वर्ष–2023 में थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा के ग्राम धनसड़ा में अपने गिरोह के साथ डकैती के घटना करने के दौरान 02 नाबालिक बच्चों को गोली मारकर घायल कर दिया था।

6. दिनांक 25/26–04–2025 की रात्रि में अपने गिरोह के साथ ग्राम डिक्सिर, थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा में डकैती के घटना दौरान एक युवक शिवदीन आयु लगभग 22 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस घटना में इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 01 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसमें यह वांछित चल रहा था।

7. दिनांक 09–05–2025 के सुबह थाना उमरी बेगमगंज गोण्डा के ग्राम गंगरौली में हुई पुलिस मुठभेड़ में यह मौके से फरार हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0 103/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें भी यह वर्तमान समय में वांछित चल रहा था।

<u>अभियुक्त ज्ञान चन्द्र पासी पुत्र शिव प्रसाद पासी का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–</u>

1. मु०अ०सं० 174/96 धारा 401 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
2. **मु०अ०स० 113 /96 धारा 394, 411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।**
3. मु०अ०स० 19/97 धारा 307 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
4. मु०अ०स० 15/97 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
5. मु०अ०स० 27/97 धारा 3(1) यू0पी0 गै0एक्ट थाना परसपुर गोण्डा।
6. मु०अ०स० 78/97 धारा 3(1) गै0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
7. मु०अ०स० 71/97 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना परसपुर जनपद गपडा
8. मु०अ०स० 50/99 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
9. **मु०अ०स० 82/99 धारा 396/412 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।**
10. मु०अ०स० 104/99 धारा 457,380,411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
11. **मु०अ०स० 151/99 धारा 395,397 भादवि थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा।**
12. मु०अ०स० 152/99 धारा 457/380/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
13. मु०अ०स० 192/99 धारा 457/380/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
14. **मु०अ०स० 208/99 धारा 395,397 भादवि थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।**
15. मु०अ०स० 372/99 धारा 460 भादवि थाना कनञलगंज जनपद गपडा
16. मु०अ०स० 21/2000 धारा 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना परसपुर, गोण्डा।
17. मु०अ०स० 21/2000 धारा 307 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
18. मु०अ०स०22/2000 धारा4/ 25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
19. मु०अ०स० 92/2000 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
20. मु०अ०स० 91/ 97 धारा 380/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
21. मु०अ०स० 91/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
22. मु०अ०स० 22/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
23. मु०अ०स० 44/02 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
24. मु०अ०स० 45/02 धारा 110सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
25. **मु०अ०स० 92/02 धारा 302 भादवि व 3(1) गै0एक्ट, थाना परसपुर, गोण्डा।**
26. मु०अ०स० 93/2002 धारा 3/ 25 आर्म्स थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
27. मु०अ०स० निल/2002 धारा 41/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
28. मु०अ०स० 104/02 धारा 457,380 भादवि थाना तरबगंज जनपद गपडा
29. मु०अ०स० 108/02 धारा 394/411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
30. **मु०अ०स० 45/2003 धारा 395,397,411 भादवि व 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।**
31. मु०अ०स० 46/2003 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर, गोण्डा।
32. मु०अ०स० 92/02 धारा 307 भादवि व 3(1) गै0एक्ट थाना जरवल रोड, बहराइच
33. मु०अ०स० 956/04 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जरवल रोड जनपद बहराइच
34. मु०अ०सं० 390/2007 धारा 8/21 एनडीपीएस एडट थाना कनञलगंज गोण्डा।

35. मु०अ०स० 14/97 धारा 307 भा०द०वि० थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
36. मु०अ०स० 53/02 धारा 459/511 भादवि व 3(1) गै0एक्ट थाना कतरा बाजार, गोण्डा।
37. मु०अ०स० 107/97 धारा 379 भादवि थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
38. मु०अ०स० 260/08 धारा 3(1) गुण्डा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
39. मु०अ०स० 327/09 धारा 3/25 आर्म्स थाना हय्जूरपुर जनपद बहराइच
40. मु०अ०स० 260/09 धारा 396/412 भादवि थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच
41. मु०अ०स० 174/10 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
42. मु०अ०स० 175/10 धारा 3(1) गैगे0 एक्ट थाना परसपुर, गोण्डा।
43. मु०अ०स० 27/12 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
44. मु०अ०स० 76/14 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
45. मु०अ०स० 03/13 धारा 379/411 भादवि थाना कटराबाजार गोण्डा।
46. मु०अ०स० 118/14 धारा 147,148,149,462,323,427,452,504 भादवि थाना परसपुर, गोण्डा।
47. मु०अ०स० 170/16 धारा 307,302 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
48. मु०अ०स० 338/2016 धारा 307 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
49. मु०अ०स० 152/17 धारा 457/380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
50. मु०अ०स०93/18 धारा 174। भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
51. मु०अ०स०305/17 धारा 457/380/411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
52. मु०अ०स०321/17 धारा 457/380 /411 भादवि थाना तरबगंज गोण्डा।
53. मु०अ०स० 113/19 धारा 394/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
54. मु०अ०स० 220/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
55. मु०अ०स० 217/17 धारा 458/380/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
56. मु०अ०स० 148/11 धारा 307, 323, 504, 506,324 भादवि थाना परसपुर गोण्डा।
57. मु०अ०स० 31/15 धारा 379/411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
58. मु०अ०स० 217/22 धारा 457,380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
59. मु०अ०स० 219/22 धारा 457,380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
60. मु०अ०स० 327/22 धारा 457,380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
61. मु०अ०स० 143/23 धारा 379,411 भादवि थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।
62. मु०अ०स० 144 /23 धारा 380,411,457 भादवि थाना उमरीबेगमगंज, गोण्डा।
63. मु०अ०स० 144 /22 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना परसपुर गोण्डा।
64. मु०अ०स० 211 /22 धारा 380,411,413,457 भादवि थाना परसपुर गोण्डा।
65. मु०अ०स० 212 /22 धारा 3(1) गै0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
66. मु०अ०स० 90/23 धारा 460,380,342,420,467,468,471 भादवि थाना करनैलगंज गोण्डा।
67. मु०अ०स० 17/23 धारा 382/457 भादवि थाना कटरा बाजार गोण्डा।
68. मु०अ०स० 78/23 धारा 457/380 /411 भादवि थाना कटरा बाजार गोण्डा।
69. मु०अ०स० 97/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज, गोण्डा।
70. मु०अ०स० 504 /23 धारा 3(1) गै0 एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
71. मु0अ0सं0 95/2025 धारा 310(2), 310(3), बीएनएस थाना उमरी बेगमगंज, गोण्डा।
72. मु0अ0सं0 103/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमेरीबेगमगंज, गोण्डा।

इसके विरूद्ध पंजीकृत अन्य अभियोगों के बारे में जानकारी की जा रही है।

उपरोक्त मुठभेङ के सम्बन्ध में थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।